<u>प्रेस नोट</u>
<u>थाना टोड़ीफतेहपुर</u>

<u>दिनाँकः- 20.11.2024</u>

ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद युवती ने खुद ही रची थी अपहरण का षड्यंत्र स्वाट एवं थाना टोड़ीफतेहपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में युवती सहित कुल 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन एवं सतत मार्गदर्शन में झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना टोड़ीफतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 171/2024 धारा 140(3) बीएनएस बनाम अज्ञात की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना टोडीफतेहपुर पुलिस द्वारा अपहृता सहित कुल 05 अभियुक्तों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जिन मोबाइलों का प्रयोग करके चैटिंग की गयी थी, उन 02 मोबाइलों को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनाँक 19.11.2024 को वादी श्री बब्लू ढीमर पुत्र श्री लल्लू ढीमर निवासी कस्बा व थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी, उम्र करीब 40 वर्ष द्वारा थाना टोड़ीफतेहपुर पर दी गई तहरीर में आरोप लगया गया कि उनकी 19 वर्षीय पुत्री नन्दिनी, जो राघवेन्द्र हॉस्पिटल झाँसी में जी.एन.एम. का कोर्स कर रही है, दिनाँक 18.11.2024 को समय करीब 11:00 बजे बस द्वारा टोड़ीफतेहपुर से झाँसी आने को कहकर निकली थी। इसी क्रम में समय करीब 01 बजे दिन में वादी के मोबाइल पर ह्वाट्सअप के माध्यम से फोन आया कि तुम्हारी बेटी का अपहरण कर लिया गया है।

प्राप्त उक्त तहरीर के आधार पर थाना टोड़ीफतेहपुर पर तत्काल मु.अ.सं. 171/2024 धारा 140(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पीड़िता की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस की अलग-अलग टीमों को लगाया गया था।

पुलिस द्वारा की गयी विवेचना से यह तथ्य सामने आया कि नन्दिनी उपरोक्त द्वारा **बिग डैडी गेम पर आनलाइन पैसा कमाने के लिए खेलने तथा गेम में घाटा हो जाने के कारण** युवती ने निम्नलिखित साथियों के साथ मिलकर पैसा प्राप्त करने के उद्देश्य से पिता/वादी के फोन पर ह्वाट्सअप के माध्यम से सह अभियुक्त प्रियांशू से सन्देश भिजवाकर उद्दापन के रूप में 6 लाख रूपये की मांग किया न देने पर नन्दनी की हत्या कर दिये जाने को कहा।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना टोड़ीफतेहपुर एवं स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 03 अभियुक्तों को जनपद झाँसी से, जबकि लड़की एवं अन्य अभियुक्त को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अब तक की विवेचना एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग की विवेचना धारा 140(3) बीएनएस के स्थान पर धारा 308(5)/61(2)/3(5) बीएनएस में संपादित की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1. नन्दिनी पुत्री बब्लू ढीमर निवासी मोहल्ला नजरगंज कस्वा व थाना टोडीफतेहपुर झाँसी, उम्र करीब 19 वर्ष
2. हृदेश रायकवार पुत्र बृज किशोर निवासी 355 आऊट साईड बड़ागाँव गेट थाना कोतवाली जनपद झांसी, उम्र करीब 20 वर्ष
3. प्रियांशू रायकवार पुत्र भूपति रायकवार निवासी प्रतापपुरा थाना ओरछा जिला निवाड़ी म०प्र० हाल पता मऊरानीपुर रेलवे स्टेशन के पीछे जैन मन्दिर के पास थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी, उम्र करीब 20 वर्ष
4. शिवम रायकवार पुत्र मनीष रायकवार निवासी ग्राम कोटीपुरा थाना बरुआसागर जनपद झांसी, उम्र करीब 21 वर्ष
5. नन्द किशोर रायकवार पुत्र अनिल रायकवार निवासी ग्राम हैवतपुरा थाना गरौठा जिला झांसी, उम्र करीब 21 वर्ष

<u>गिरफ्तारी का दिनाँक-</u> दिनाँक 20.11.2024

<u>बरामदगी-</u> 02 मोबाइल फोन (नन्दिनी तथा प्रियांशू उपरोक्त के पास से)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. श्री देवेश उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक थाना टोड़ीफतेहपुर
2. श्री जितेन्द्र सिंह तक्खर, प्रभारी स्वाट, जनपद झाँसी
3. हे0का0 सतपाल सिंह, स्वाट टीम, झाँसी
4. का0 हर्षित चौहान, स्वाट टीम, झाँसी
5. का0 मोहम्मद अतीक, स्वाट टीम, झाँसी
6. हे0का0 रमेश द्विवेदी, स्वाट टीम, झाँसी

6. म0का0 मोनिका यादव, थाना मऊरानीपुर, झाँसी